24

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 845-III/07

श्री के. के. द्विवेदी ए.3 द्वारा आज दि० 14-5-07 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

प्रेमकुमार तनय शारदाप्रसाद, चौकीदार, पटवारी हल्का सिंहपुर, तहसील मझगंवा जिला–सतना (म.प्र.) ...... आवेदक

विरूद्ध

(1) रामदयाल तनयरामप्रसाद, निवासी ग्राम सिंहपुर वृत–बरोधा तहसील मझगंवा, जिला–सतना (म.प्र.)

(2) श्रीमती उर्मिला पत्नी स्व. सुशील कुमार, निवासी ग्राम नकइला तहसील मझगंवा, जिला सतना(म.प्र.)...... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 539III/07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27.04.2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

(1) यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश में दृष्टि ओझलता के कारण वैधानिक त्रुटियां रह गयी हैं। जिनके कारण आदेश पुर्नविलोकन योग्य है।

(2) यहकि, आवेदक द्वारा अपने अपील मेमो के जो तथ्य क्रमांक 1 लगायत 7 एवं आधार क्रमांक 1 लगायत 6 तक आधार उठाये गये थे। माननीय न्यायालय द्वारा उन पर न तो विचार किया गया ओर न ही आदेश। अतः इस कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है।

(3) यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा जो आपत्तियां उठाई गयी थी उन पर विचार ही नहीं किया गया है अतः यह अभिलेख की प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि है इस कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है। इस संदर्भ में निम्नलिखित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 845–तीन/2007 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–11–16	आवेदक अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। 2/ आवेदक अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर के प्र0 क्र0 निग0 539–तीन/2007 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2007 के विरूद्ध म0प्र0भू0रा0स0 की धारा 51 के अन्तगर्त यह पुर्नविलोकन प्रस्तुत की है। 3/ आवेदक अभिभाषक को ग्रहयता के बिन्दु पर सुना गया । आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा 539–तीन/2007 में चुनौती सुदा आदेश दिनांक 27.04.2007 विधि के विरूद्ध एवं प्रत्यक्ष दर्शी त्रुटियों से युक्त होने के कारण अपास्त कर परिमार्णित किये जाने योग्य है । प्रश्नगत आदेश पारित करने के पूर्व न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत कार्यवाही करते हुये प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। आवेदक द्वारा प्रकरण में जो आपत्तियां उठाई गई थी, उन विचार ही नहीं है। न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि अनावेदक क्रमांक 1 पूर्व	

कोटवार का विधिक वारिस है। यह निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत है, क्योंकि ग्राम सिंहपुर के पूर्व कोटवार सुशील कुमार पुत्र शारदा प्रसाद थे, जिनका देहांत हो गया था। आवेदक प्रेम कुमार पूर्व कोटवार सुशील कुमार का सगा भाई है। समर्थन में पूर्व कोटवार सुशील कुमार का मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न है। अतः इस कारण जो निष्कर्ष न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा निकाले गये है, विधि के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतएव पुर्नविलोकन आवेदन–पत्र स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया तथा न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर के आदेश का अवलोकन किया । अवलोकन करने पर यह पाया कि अपर आयुक्त ने आदेश में अभिलेख के आधार पर आवेदक के द्वारा जो आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया था, उसमें कोई तिथि अंकित न होने से अमान्य किया है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि अनावेदक उसी ग्राम का निवासी है जहां कोटवार का पद रिक्त है तथा वह पूर्व कोटवार का विधिक वारिस है, जिसे नजरअंदाज कर तहसीलदार ने नियुक्ति की थी। तहसीलदार के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है, जिसकी पुष्टि अपर कलेक्टर, पन्ना एवं अपर आयुक्त ने भी अपने आदेश

में की है। इसी आधार पर न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा अपर आयुक्त के आदेश को स्थिर रखा है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से आग्राह्य किया है।

6/ प्रकरण के तथ्यों को देखते हुये मैं इस निषकर्ष पर पहुँचा हूँ कि न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर के तत्कालीन सदस्य द्वारा आदेश परित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं। न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर के तत्कालीन सदस्य का आदेश स्थिर रखा जाता है। इसी स्तर पर प्रस्तुत पुर्नविलोकन प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाती है ।

(एस0एस0अली)
सदस्य